राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा

निर्वाचन सदन, प्लाट नं0 2 सैक्टर – 17
पंचकूला, हरियाणा – 134109

Website:www.secharyana.gov.in
Email id:sec@hry.nic.in

Phone: +91172 2584810
Fax : +91 172 258 5904

क्रमांकः– रा0नि0आ0/1एम0ई0/2021/3777–3778 दिनांकः–10.09.2021

सेवा में

उपायुक्त,
गुरूग्राम और करनाल

विषयः– नगरनिगम उप–चुनाव, 2021 – मतदान केन्द्रों की स्थापना बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि आपके जिले में नगरनिगमों के निम्न उप–चुनाव **दिनांक 03.10.2021** को होने निश्चित हुये हैः–

क्रम संख्या	**जिले का नाम**	**उप–चुनाव**
1.	गुरूग्राम	वार्ड न. 34
2.	करनाल	वार्ड न. 7

2. इस संदर्भ में आपका ध्यान हरियाणा नगरनिगम निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 35 (1) की ओर आकर्षित किया जाता है, इस नियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार मतदान केन्द्रों की स्थापना की जानी है। रिटरनिंग अधिकारी के प्रयोगार्थ जारी हैंड बुक में, मतदान केन्द्रों की स्थापना बारे विस्तृत विधि दी गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि सम्बन्धित रिटरनिंग अधिकारी को उक्त उप–चुनावों के लिए आवश्यकतानुसार मतदान केन्द्रों की स्थापना तुरन्त करने हेतु आवश्यक निर्देश दिये जाएं तथा स्थापित किए गए मतदान केन्द्रों की सूची आपके माध्यम से भेजते हुए आयोग से इस बारे अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। कृपया मतदान केन्द्र स्थापित करते समय यह ध्यान रखा जाये कि कोरोना वायरस से बचाव हेतु जारी की गई हिदायतों अनुसार पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1000 से ज्यादा न हो, यदि किसी पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1000 से ज्यादा हो तो उस स्थान पर दो बूथ बना दिये जाये।

3. मुझे यह भी अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि स्थापित किये जाने वाले मतदान केन्द्र जहॉ तक सम्भव हो, केवल सरकारी भवनों में ही स्थापित किये जायें **[कोई भी मतदान केन्द किसी भी अस्पताल व जच्चा बच्चा केन्द्र (डिलीवरी सैन्टर) में या उसके आस पास स्थापित न किया जाये]।** यदि किसी कारणवश ऐसा किया जाना संम्भव न हो, और किसी प्राईवेट भवन/धर्मशाला में मतदान केन्द्र स्थापित किया जाना आवश्यक हो, तो उस स्थिति में, उस प्राईवेट भवन/धर्मशाला के मालिक से इस बारे लिखित रूप में सहमति प्राप्त कर ली जाए और यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि चुनाव लड़ने वाले किसी उम्मीदवार अथवा उसके रिश्तेदार का उस भवन या संस्था से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

भवदीय,

सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त,
कृते राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा